



हड़तालों के संबंध में गांधीजी का मत

डॉ० केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

गांधीजी ने 'यंग इंडिया' के 16 फरवरी, 1921 के अंक में प्रकाशित एक दूसरे लेख में हड़तालों के संबंध में पुनः अपना मत व्यक्त किया तथा उन्होंने राजनैतिक उद्देश्य से की गई हड़तालों तथा आर्थिक कारणों से की गयी हड़तालों के बीच अन्तर स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा हिन्दुस्तान के मजदूरों पर राजनैतिक स्थिति ने भी कुप्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया है और राजनैतिक उद्देश्यों के लिये हड़तालों को अनियमित रूप से किया जा सकता है ऐसा सोचने वाले नेताओं की कमी नहीं है। मेरे विचार से ऐसे उद्देश्य के लिये श्रम संगठनों का उपयोग करना बड़ी गलती होगी। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि इस तरह की हड़ताल से राजनैतिक उद्देश्य को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इससे हम अहिंसक असहयोग के दायरे में नहीं आते। जब तक श्रमिक देश की राजनैतिक स्थिति को नहीं समझते तथा सर्वसामान्य के हित में काम करने के लिये कटिबद्ध नहीं होते तब तक श्रमिकों का राजनैतिक उप-योग करना बहुत खतरनाक है। अतः श्रमिकों की ओर से महानतम राजनैतिक अंशदान यही हो सकता है कि ये अपनी स्वयं की स्थिति में सुधार करें, अपनी जानकारी बढ़ायें, अपने अधिकारों के लिये आग्रह करें तथा अपने मालिकों या निर्माताओं से भी, जिनमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण हाथ उनके उचित उपयोग की मांग करें।

सफल हड़ताल के लक्षण

अपने उपयुक्त लेख में गांधीजी ने सफल हड़ताल की शर्तें रखी हैं। उनका दृष्टिकोण था कि हड़ताल के लिये के लिये निश्चय ही उचित कारण होने चाहिए, हड़तालियों में व्यावहारिक एकता होनी चाहिए, हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हड़ताल की अविधि में संबंध की निधि पर निर्भरता के बिना ही हड़तालियों को अपने भरण पोषण में समर्थ होना चाहिए, और इस प्रकार उन्हें किसी अस्थायी उत्पादक पेशे में स्वयं को लगाना चाहिए। उस स्थिति में, जबकि हड़तालियों का स्थान लेने के लिये अन्य बहुत से मजदूर हैं, हड़ताल कोई उपचार नहीं है, गांधीजी ने उल्लेख किया था कि इस शर्त को पूरा किये बगैर भी सफल हड़तालें की जा चुकी हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण उत्कृष्ट नहीं कहे जा सकते। गांधीजी काम के घन्टों की उचित सीमा बांधने के प्रति भी जागरूक थे और चाहते थे कि मिल मजदूर बारह घन्टे काम करने के बजाय दस घन्टे काम करें।

सहानुभूतिमूलक हड़ताल पर गांधीजी का मत

गांधीजी के ये विचार वर्तमान सन्दर्भ में महत्व के हैं। सन् 1921 में जिस समय असम में चाय मजदूरों का उद्योग शुरू हुआ तथा केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से लाये गये चाय मजदूर असम में अत्यन्त ही अनार्थिक मजदूरी के नीचे पिस रहे थे,

तब गांधीजी ने उनके मामले को अपने हाथ में लिया तथा उस विषय में जांच करने के लिये श्री सी०एफ० एण्ड्रयूज तथा श्री चितरंजनदास को भेजा था। जबकि हजारों की संख्या में मजदूर चाय बागान छोड़ चुके थे, असम-बंगाल रेलमार्ग के 25,000 कर्मचारी भी सहानुभूति में हड़ताल कर बैठे। गांधीजी ने देखा कि हड़तालियों में से अधिकांश भुखमरी से ग्रसित थे, अतः उन्होंने इस सहानुभूति मूलक हड़ताल से सहमति प्रकट नहीं की। इस आवेग के प्रति पूर्णतः सहानुभूतिमूलक रहते हुए भी गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सहानुभूति हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हड़तालियों के पास वेतन को छोड़कर और कोई आसरा नहीं था। उनका यह मत था कि सहानुभूति मूलक हड़ताल आर्थिक कारणों से की गई हड़ताल की सहायता के लिये की गयी राजनैतिक हड़ताल थी। उन्होंने 'यंग इंडिया' में राजनीति और सहानुभूति हड़ताल शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख लिखा और उसके बाद ही हड़तालों के सम्बन्ध में एक दूसरा लेख लिखा और दोनों लेखों में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया, यद्यपि उन्हें गलत समझा जा सकता था। उन्होंने लिखा, 'इस बात की अपेक्षा करना कि अचानक ही मजदूर और कारीगर बाहरी हितों को अपना समझने लगेंगे, उसके लिये अपने को न्योछावर कर देंगे, उचित नहीं है। हम उन्हें राजनैतिक अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये शोधित नहीं करेंगे। अभी उनकी हम जो सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं, वह यह है कि उन्हें 'अपनी सहायता अपने आप करने' का पाठ पढ़ायें, उन्हें उनके कर्तव्य तथा अधिकार का ज्ञान करायें, उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दे कि वे अपनी उचित मांगें स्वयं पूरी कर लें। तभी वे राजनैतिक, राष्ट्रीय अथवा मानवीय सेवा के लिये तैयार हो सकेंगे, उसके पहले नहीं।

पूँजीपति और अधिक साधन और समय के ट्रस्टी

महात्मा गांधी कारखाने को समाज की सम्पत्ति मानते थे और श्रमिक तथा उद्योगपतियों को उनका ट्रस्टी, जो उद्योग को समाज या राष्ट्र के हित में चलाते हैं। उनका कहना था कि हमें अपने किसी भी साधन अथवा अपने समय के एक क्षण का अपव्यय करने का अधिकार नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति या समूह का नहीं, वरन राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति है और हममें से प्रत्येक उसे सदुपयोग के लिये नियुक्त एक ट्रस्टी है। श्रमिकों और उद्योगपतियों का वे यह अधिकार मानते थे कि किसी कारणवश उत्पादन पर लगने वाली लागत बचायें। उनका यह कर्तव्य है कि वे कारखाने को अच्छी तरह चलाने के लिये एक दूसरे को नुकसान या तकलीफ न पहुंचाये, हमेशा ईमानदारी से कोशिश करते रहें।

श्रम को एक दूसरे का मददगार होना चाहिए

हम बहकावे में आकर किस हद तक हड़ताल आदि का संकट बुलावें, उस दिशा में गांधीजी ने ठीक कहा था: 'मजदूर को धनिकों के खिलाफ भड़काने का अर्थ यह है कि वर्ग भेद और उनके जो

खराब परिणाम हैं, उनको स्थायी बना दिया जाय। यह ग्रिह चंडाल चक्र जैसा है और उसे हर कीमत पर टालना चाहिए। इसमें मजदूरों की कमजोरी का इकरार है। यह मजदूरों के मन से अपने नीचे होने का भाव न निकालने की निशानी है। गांधी जी जहां पूंजी को उच्चतर स्थान देने की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोधी थे, वे हमेशा मनुष्य मात्र की शान और गौरव के बड़े हिमायती थे। उनकी नजर में श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण था। श्रमिक की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति ही वे श्रम संगठन या ट्रेड यूनियन का उद्देश्य मानते थे। श्रमिक को वे औद्योगिक प्रगति का गौरव पूर्ण अंग मानते थे, न कि वर्ग के लिये एक हथियार के रूप में।

श्रमिक भी उद्योग के सत्वाधिकारी

गांधीजी ने अपने विचारों और कर्मों में स्पष्ट: अधिक श्रमिक समर्थक थे, यद्यपि वे कई पूंजीपतियों के मित्र थे। बंगलौर में दिये गये भाषण में, जिसका संवाद यंग इंडिया के 04 अगस्त 1927 के अंक में छपा था, उन्होंने साफ-साफ बतलाया था कि वे एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। उस समय भी उनका यही दृष्टिकोण था कि मिल मजदूर भी मिलों के उसी सीमा तक स्वत्वाधिकारी हैं जितने कि अंशधारी शोलापुर, कानपुरी और अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन का हवाला देते हुए उन्होंने मजदूर और मालिकों के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि प्रबन्धकों को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए तथा कर्मचारियों को अभियन्ताओं तथा कुशल कर्मचारियों की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

श्रमिक संघ के रचनात्मक कर्तव्य

गांधीजी श्रमिक संघों को केवल अधिकारों के लिये लड़ने मात्र का रूप नहीं देना चाहते थे। उनकी राय में श्रमिक संघ को रचनात्मक काम करना चाहिए, क्योंकि श्रमिकों की अपनी एक विशेष स्थिति है और उनकी कई सामाजिक समस्याएँ हैं। निरक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाना उनकी अपने कार्यों के प्रति जागरूक बनाना, श्रमिक संघ का एक पवित्र कार्य है। उनके इस रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण ही अहमदाबाद टैक्सटाइल लेबर असोसिएशन आज अपने ढंग की एक आदर्श श्रमिक संस्था है। इस संघ के अपने 200 के लगभग नियमित कार्यकर्ता हैं, जो श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सचेष्ट हैं। कुल एक लाख श्रमिक इस संस्था के सदस्य हैं और संस्था की अपनी सहकारी बैंक हैं संघ ने श्रमिकों को अपना मकान बनाने में मदद की है। कुल 12000 मकान बने हैं। संघ की 70 ऋणदाता समितियाँ और 180 के लगभग भंडार हैं। क्या देश के अन्य भागों के श्रमिक संघ भी इस तरह श्रमिकों के कल्याण में लगे हैं।

आज औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में जो कड़वाहट है उसका मुख्य कारण यह है कि हम गांधीजी के बनाये सिद्धान्तों से दूर हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों में तेजी से बढ़ी है। अब तो तीन हजार से ऊपर वेतन पाने वाले बैंक अधिकारी, तक हडताल पर उतरने लगे हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये शुभ नहीं है। यह प्रगति नहीं, मतिभ्रम का द्योतक है। मतिभ्रम की इस स्थिति में यदि हम गांधीजी का अध्ययन कए श्रमिक नेता के रूप में करें तो बहुत कुछ सीख सकेंगे।

References (सन्दर्भ सूची)

1. Hyman, Richard. Industrial Relations: A Marxist Introduction. Macmillan, 1975.
2. Salamon, Michael. Industrial Relations: Theory and Practice. Prentice Hall, 2000.

3. Sinha PRN. Industrial Relations, Trade Unions, and Labour Legislation. Pearson Education, 2004, 92-110.
4. Ravi S Srivastava. Bonded Labor in India: Its Incidence and Pattern. Cornell University, 2005, 4.
5. Ghosh BN. Gandhian political economy: principles, practice and policy, 2007, 17.
6. Romesh K Diwan, Mark A. Lutz, Essays in Gandhian economics, 1987, 25.
7. Jesudasan, Ignatius. A Gandhian theology of liberation. Gujarat Sahitya Prakash: Ananda India, 1987, 236-237.
8. Guha, Ramachandra. Gandhi before India. Allen Lane, 2013.
9. The collected works of Mahatma Gandhi, by Gandhi (Mahatma), India. Ministry of Information and Broadcasting. Publications Division
10. Gandhi MK. All Men Are Brothers: Life and Thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words, Paris, UNESCO 1958, 60.
11. Bandopadhyaya, Sailesh Kumar. The Quit India Resolution. My non-violence. Ahmedabad: Navajivan Pub. House, 1960, 183-205.
12. The life and death of Mahatma Gandhi, on BBC News [1], see section Independence and partition.
13. Gandhi MK, Mahadev Desai. On The Eve of Historic Dandi March." The selected works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad, India: Navajivan Publ. House, Print, 1968, 28-30.
14. Gandhi, Rajmohan. Rajaji, A life. Penguin India, 1997.
15. Gandhi, Mohandas. The Means. Harijan, 1946.
16. Narayan, Shriman. Relevance of Gandhian economics. Navajivan Publishing House, 1970.
17. Sharma R. Gandhian economics. Deep and Deep Publications Pvt. Ltd, 1997.
18. The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings on His Life, Work, and Ideas. Louis Fischer, ed., (reprint edition), 2002, 311.
19. Ronald M. McCarthy and Gene Sharp, Nonviolent action: a research guide, 1997, 317.